

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

एससीओ सं. 20-27, जीवनदीप भवन, तीसरी मंजिल, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़

# छात्रवृति की घोषणा : 2020–21

(मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट – सह – साधन आधारित)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2020—21 के लिए तीन छात्रवृति योजनाओं अर्थात मैट्रिक—पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट—सह साधन आधारित छात्रवृति के अंतर्गत छात्रवृतियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) से संबंधित छात्रों को नेशनल स्कॉलरिशप पोर्टल पर आवेदन का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागए हरियाणा उपयुक्त योजनाओं के लिये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपयुक्त छात्रवृतियों के लिये आवेदन आमंत्रित करता है

# समय –सीमा

1	छात्रों द्वारा मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट — सह — साधन आधारित छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथी	16 अगस्त 2020
2	छात्रों द्वारा मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट – सह – साधन आधारित छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारिख	31 अक्टूबर 2020

#### पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्व, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, ईसाई) मे से किसी एक का विद्यार्थी हो व पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक ना हों।
- वह भारत में सरकारी या निजी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठयक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड / कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

# निर्देश

## आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल वेवसाइट—
  www.soholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in) पर भी उपलब्ध है) या
  मोबाइल ऐप— National Scholarship (NSP) पर छात्रवृति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन
  आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और 'बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) राष्टीय छात्रवृति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सिक्वय मोड में है तथा बैंक के निर्देशों के अनुसार हो तािक छात्रवृति का भुगतान विफल न हो।

# विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों के लिए

 सभी विश्वविद्यालयों / संस्थानों / महाविद्यालयों / विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ रहा है, को अति शीघ्र राष्टीय छात्रवृति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवान चाहिए यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट <u>www.minorityaffairs.gov.in</u> पर जाएं। समाधान हेल्पलाइन टोल फी: 1800—11—2001 समय सुबह 9:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुटटी का दिन छोडकर।

निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा चण्डीगढ



# **SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT, HARYANA** SCO No. 20-27, 3<sup>rd</sup> Floor, Jeevan deep Building, Sector-17 A, Chandigarh

# **ANNOUNCEMENT OF SCHOLARSHIP: 2020-21**

(Pre-Matric, Post –Matric and Merit-cum-Means)

Ministry of Minority Affairs (MoMA), Govt. of India provides an opportunity to the students belonging to six Minority communities notified by the Government of India (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim and Christian) for availing scholarship under three scholarship viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship for the year 2020-21 on National Scholarship Portal. The department of Social Justice & Empowerment Department, Haryana invites application for above scholarship, given b the ministry of Minority Affairs, Government of India for the above schemes.

#### **Timeline**

a.	Opening of NSP Portal for Submission of Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application	16 <sup>th</sup> August, 2020
b.	Last Date for submission of online application for Pre-Matric, Post- Matric and Merit-cum-Means based Scholarship application by students	31 <sup>st</sup> October,2020

#### **Eligibility**

- The applicant should be a student of the notified minority communities (Jain, Buddhist, Sikh, Zoroastrian (Parsis), Muslim, and Christian) and family income should be as per the norms fixed.
- The applicant should be pursuing studies in India in Government or recognized Private University/Institute/College/School.
- The course being pursued should be of Minimum one year duration.
- The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/ Class examination.

### **Instruction**

# **For Applicants**

- Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the website of National Scholarship Portal at www.scholarships.gov.in (a link to the site is also available at www.minorityaffairs.gov.in) or Mobile App- National Scholarship (NSP).
- Detailed 'Instruction' for filling in online application and 'Frequently Asked Question (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicants are advised to give only that bank account details which remains in active mode and is fully compliant as per bank's instructions so that payment of Scholarship does not fail.

## For Universities/Institutes/Schools/Colleges

• All Universities/Institutes/Colleges/Schools, where a minority student is studying, should get themselves registered (if not done earlier) on National Scholarship Portal immediately.

For detailed information – Visit the website of Ministry of Minority Affairs, i.e.

#### www.minorityaffairs.gov.in.

Samadhaan Helpline (Toll Free) - 1800-11-2001 (Timing 9:00 AM to 5:30 PM, Monday to Friday except holidays).

Director
Social Justice & Empowerment Department
Haryana, Chandigarh